न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 01/2016

राज्य बनाम लाल बहादुर साह

–:: आदेश ::–

30.8.17

प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील अपीलार्थी लाल बहादुर साह द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा दिनांक 14.01.2016 को अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने सम्बन्धी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि महिषी प्रखंड अंतर्गत महिसरहो के जन वितरण प्रणाली के दूकानदार हैं।

2. अपीलार्थी को आवंटित खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव कर ससमय उपभोक्ताओं के बीच वितरण करते चले आ रहे हैं और कभी किसी भी उपभोक्ता द्वारा उनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गयी हैं।

3. श्री बीरेन्द्र कुमार एवं अन्य साकिन–सरौनी ने अपीलार्थी के विरूद्ध आवेदन दिया, जिसमें अशोक कुमार साह, महिसरहो पैक्स के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि वे पी०एच०एच० का खाद्यान्न का अलग–अलग माहों का राशन कार्ड में चढ़ा दिया और सरौनी पंचायत के उपभोक्ताओं को फरवरी, 2014 से जुलाई, 2015 तक के पी०एच०एच० खाद्यान्न की आपूर्त्ति नहीं की गयी।

4. इसकी जाँच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, महिषी से करायी गयी, जिन्होंने पत्रांक 143, दिनांक 11.09.2015 द्वारा प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सौंपा। इस प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1569/गो0, दिनांक 08.10.2015 द्वारा अपीलार्थी से कारण पृच्छा की माँग की गयी।

उल्लिखित पाँचों बिन्दुओं पर तीन डीलरों यथा लाल बहादुर साह, अशोक साह एवं सूर्यभूषण से कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसमें अशोक साह की अनुज्ञप्ति निलम्बित कर शेष दो डीलरों का प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, महिषी द्वारा खाद्यान्न वितरण का आदेश दिया गया। महिसरहो पंचायत में कुल 7166 लाभार्थी है परन्तु 6032 उपभोक्ताओ के लिए खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्त्ति की गयी। अपीलार्थी 09.10.2014 से 15.05.2015 के बीच कुल 3032 लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया। डीलर अशोक कुमार साह के निलम्बन से मुक्त होने पर जून, 2015 तक उनके द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया गया और इस तरह फरवरी, 2014 से जुलाई, 2015 तक उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न का वितरण न किये जाने सम्बन्धी आरोप वास्तविक स्थिति के विरूद्ध हैं, क्योंकि वर्ष, 2014 में मात्र तीन महीने 09.10.2014 से 15.04.2015 तक अपीलार्थी को खाद्यान्न का आवंटन हुआ, जिसे उन्होंने लाभार्थियों के बीच वितरीत कर दिया। इस तरह फरवरी, 2014 से जुलाई, 2015 तक के खाद्यान्न आपूर्त्ति का आरोप स्वतः गलत हो जाता है। 2.75 लीटर के स्थान पर 2.50 लीटर किरासन तेल की आपूर्त्ति सम्बन्धी आरोप पर अपीलार्थी का कहना है कि कूपन पर मात्रा एवं कीमत अंकित कर किरासन तेल की आपूर्त्ति की जाती है। ऐसे में कम मात्रा में आपूर्त्ति करना एवं अधिक कीमत लेना कैसे संभव हो सकता है। जहाँ तक पी०एच०एच० चावल 4.00 रू0 प्रति किलो एवं गेहूँ 3.00 रू0 प्रति किलो वसूलने का आरोप है यह बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि कूपन पर कीमत लिखा रहता है और अंकित कीमत से अधिक वसूलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ तक उपभोक्ताओं को बुरा–भला कहने का आरोप है इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहना है कि यह यादव बाहुल्य क्षेत्र हैं तो यह कैसे संभव हो सकता है।

अपलार्थी ने अपने कथन के समर्थन में सारे कागजात लगाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को कारण पृच्छा समर्पित किया, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 87, दिनांक 15.01.2016 द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी।

30.8.17

अपीलार्थी बीमार हो गये तथा 15.01.2016 से 15.04.2016 तक सूर्या हॉस्पीटल, सहरसा मे चिकित्साधीन रहे। चिकित्साधीन रहने के कारण विलम्ब से अपील दाखिल किया गया है।

अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा ने अपीलार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 का स्पष्ट उल्लंघन का दोषी पाया है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध नियमित दुकान नहीं खोलने, आपूर्त्ति पदाधिकारी को जाँच में सहयोग नहीं करना, उचित मात्रा एवं मूल्य पर राशन, किरासन का वितरण नहीं करना इत्यादि अनिमितितायें पायी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा विधिवत कारणपृच्छा कर पर्याप्त विचार कर आदेश पारित किया गया है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
13.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

13.9.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1399-2/विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.09.017